

MASTER Copy

१२

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)



विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दिल्ली के सभा-कक्ष में आयोजित
विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 27 मार्च, 2005

अनुक्रमणिका

क्र.सं.

पृष्ठ क्रमांक

1. विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। 01 से 08
2. विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्रवाई। 09 से 14
3. एम.ए. (स्त्री अध्ययन), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) तथा एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन। 15 से 58
4. एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। 59 से 60
5. एम.फिल. के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन। 61 से 64
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। 65 से 78
7. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान व सी-डैक, नोएडा के शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग से एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) एवं एम.ए.(कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स) पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। 79 से 90
8. प्रशासनिक व अकादमिक सहयोग तथा आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने का प्रस्ताव। 91 से 94
9. विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन। 95 से 165
10. विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में छमाही नवीकरण पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव। 166 से 171
11. दूर शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाएँ। 172 से 175
12. संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन। 176 से 177

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च 2005 को सुबह 11:00 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति
2)	डा. (श्रीमती) माजिदा असद	:	सदस्य
3)	डा. (श्रीमती) इन्दिरा गोस्वामी	:	सदस्य
4)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
5)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6)	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
8)	डा. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
9)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
10)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
11)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
12)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
13)	डा. एस. आर. फारूकी	:	सदस्य
14)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
15)	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव

अन्य सदस्यों में डा. नबनीता देव सेन स्वास्थ्य ठीक न होने तथा डा. मृदुला गर्ग, प्रो. उदय नारायण सिंह, प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय और प्रो. बी.ए. प्रभाकर बाबू पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

बैठक में प्रसिद्ध रंगकर्मी, डा. नेमिचंद्र जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

१२

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

कार्य-सूची की मद सं. 1

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की 17 एवं 18 अगस्त, 2004 को वर्धा में सम्पन्न दूसरी बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त न होने के मद्देनजर विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

अनुलग्नक : दूसरी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त (पृष्ठ 3 से 8)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

कार्य-सूची की सद सं. 2

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की गई कार्यवाइँ :

विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्यवाइँ सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्यवाइँ को नोट कर इससे अपनी सहमति व्यक्त की तथा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कुछ सुझाव दिये गये जिसका विवरण संलग्न है।

अनुलग्नक : कार्यवाइँ की रिपोर्ट एवं प्राप्त सुझाव (पृष्ठ 10 से 12)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त



W

कार्य-सूची की सद सं. 3

एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण), एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन :

विश्वविद्यालय में चल रहे एम.ए.(जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के संदर्भ में विश्वविद्यालय में हुई संगोष्ठी में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के अनुसरण में पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए हैं, पाठ्यक्रम का संशोधित प्रारूप विद्या-परिषद् के अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

एम.ए. (स्त्री अध्ययन) एवं एम.ए.(अहिंसा एवं शांति अध्ययन) पाठ्यक्रमों को भविष्य में रोजगारपरक बनाने की संभावनाओं पर चर्चा एवं विमर्श के लिए क्रमशः दिनांक 14 एवं 16-17 मार्च, 2005 को संगोष्ठी आयोजित हुई।

संगोष्ठी में प्राप्त विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के अनुसरण में संशोधित पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय भविष्य में अपने पाठ्यक्रमों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए और इसके प्रारूप की दोनों प्रतियाँ सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जायें यह भी ध्यान रखा जाये कि यह राजभाषा आयोग की शब्दावली के अनुसार हो।

1) एम.ए. (जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण) के संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर इसके लिए स्ट्रिडियो एवं उपकरणों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राशि रु.16,00,000/- (लपये सोलह लाख मात्र) का अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया तथा पाठ्यक्रम निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया :

(क) प्रथम छमाही द्वितीय प्रश्न-पत्र : संचार माध्यमों का उद्भव एवं विकास (इकाई 1) बिन्दु 3 में महत्वा गांधी के योगदान को जोड़ा जाये।

(ख) प्रथम छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : भाषा, संस्कृति एवं संचार (इकाई 3) में भाषिक संस्कृति के स्थान पर “हिन्दी संस्कृति” लिखा जाये।

(ग) द्वितीय छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : संपादन, स्वरूप एवं प्रक्रिया (इकाई 3) में प्रतिपुष्टि एवं अनुधावन

इसका मतलब स्पष्ट न होने के कारण सभी सदस्यों का सुझाव था कि इस तरह के गूढ़ शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्द भी लिखे जायें और यदि संभव हो तो पाठ्यक्रमों के द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रारूप प्रस्तुत किये जायें।

(घ) तृतीय छमाही तृतीय प्रश्न-पत्र : विकास पत्रकारिता (इकाई 2) ‘प्रतिपक्ष की तरह विकृतियों का उल्मूलन एवं मानसिकता का उदात्तीकरण’

इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ पुनः भेजने और स्पष्ट करने का निर्णय हुआ तथा संतुष्ट होने पर कुलपति को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।

2) प्रस्तुत किए गए एम.ए. (स्त्री अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रम को निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित कर अगले अकादमिक वर्ष से लागू करने का निर्णय किया गया :

- (क) सेमेस्टर II में तलाकशुदा औरतों की समस्याएँ (*Problems of Divorcee*) विषय को जोड़ा जाये चूंकि यह एक ज्वलत समस्या है।
- (ख) उक्त पाठ्यक्रम में छण प्रियंवदा, डा. इन्दिरा गोस्वामी (कामरूपकी कहानी), सुश्री चित्रा मुदगल (आवां), सुश्री मालती बडेकर, सुश्री मेघना पेठे (मराठी में लिखी पुस्तकें), श्री गोविन्द मिश्र (तुम्हारी रोशनी) तथा श्री जैनेन्द्र कुमार आदि के स्त्रियों की समस्याओं पर लेख एवं पुस्तकों को भी शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित हो और इस तरह के सुझावों को उक्त उपसमिति के समक्ष रख उसकी अनुशंसाओं एवं अनुमोदन के साथ ही लागू कर दिया जाये तथा इसकी सूचना ही विद्या-परिषद् को दी जाये। कुलपति को इसके लिए अधिकृत किया गया।

3) एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) के संशोधित पाठ्यक्रम का अवलोकन कर इसे अनुमति प्रदान की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रमों के प्रारूप में टंकित अशुद्धियों को ठीक कर लिया जाये।

अनुलग्नक : विद्या-परिषद् द्वारा संशोधन उपरांत अनुमोदित पाठ्यक्रम :

1. एम.ए. (जनसचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) (पृष्ठ 17 से 37)
2. एम.ए. (स्त्री-अध्ययन) (पृष्ठ 38 से 53)
3. एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) (पृष्ठ 54 से 58)

कार्य-सूची की मद सं. 4

एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

विद्या-परिषद की दूसरी बैठक में एम.फिल. (हिन्दी तुलनात्मक साहित्य), एम.फिल. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन), एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान समय के परिपेक्ष्य में एम.फिल. (स्त्री अध्ययन) पाठ्यक्रम की उपयोगिता तथा मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय में इसे वर्ष 2005-06 से आरंभ करने हेतु पाठ्यक्रम का प्रारूप विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

चक्र पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुलग्नक : अनुमोदित पाठ्यक्रम : एम.फिल. (स्त्री-अध्ययन) (पृष्ठ 60)

विद्या-परिषद की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

कार्य-सूची की मद सं 5

एम.फिल. के सशोधित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन :

- 1) 16 से 17 मार्च 2005 को वर्धा में हुई कार्यशाला में विश्वविद्यालय में चल रहे एम.फिल. (अहिसा एवं शांति अध्ययन) पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए। तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ सलग्न है।
- 2) एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधित पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ सलग्न है।

उन्हें पाठ्यक्रमों में किए गए संशोधन का अवलोकन कर इन्हें स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुलग्नक अनुमोदित संशोधित पाठ्यक्रम

1. एम.फिल. (अहिसा एवं शांति अध्ययन) (पृष्ठ 62 से 63)
2. एम.फिल. (अनुवाद प्रौद्योगिकी) (पृष्ठ 64)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यक्रम

61

कार्य-सूची की मद सं. 6

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन' में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। इसका प्रारूप अनुमोदनार्थ सलग्न है।

विद्या-परिषद् ने उक्त पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की।

अनुलग्नक : स्नातकोत्तर डिप्लोमा (सांस्कृतिक पर्यटन प्रबंधन) (पृष्ठ 66 से 73)

विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक का कार्यक्रम

65

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान व सी-डैक, नोएडा के शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग से एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) एवं एम.ए. (कम्प्यूटेशनल लिंगिविस्टिक्स) पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

हिन्दी विश्वविद्यालय होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय को आधुनिक जगत से जुड़े रहने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से भी जुड़ा होना चाहिए। इसी तारतम्य में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान व सी-डैक, नोएडा के शैक्षणिक व तकनीकी सहयोग से विश्वविद्यालय में एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) तथा एम.ए. (कम्प्यूटेशनल लिंगिविस्टिक्स) पाठ्यक्रम शुरू करने की विद्या-परिषद् कृपया अनुमति प्रदान करे। इस संबंध में पाठ्यक्रम की रूपरेखा व सबूद्ध व्योरा अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न है।

इसके साथ ही सी-डैक, नोएडा व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एम.ओ.यू. करने की भी स्वीकृति प्रदान की जाए। संदर्भित एम.ओ.यू. के प्रारूप की प्रति अनुमोदनार्थ संलग्न है।

विद्या-परिषद् ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अनुलेखनका:

1. एम.टेक. (भाषा प्रौद्योगिकी) (पृष्ठ 80 से 83)
2. एम.ए. (कम्प्यूटेशनल लिंगिविस्टिक्स) (पृष्ठ 85 से 86)
3. सी-डैक, नोएडा से एम.ओ.यू. (पृष्ठ 87 से 90)

कार्य-सूची की मद सं. 8

प्रशासनिक व अकादमिक सहयोग तथा आवान-प्रबान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने का प्रस्ताव

यूकि अभी विश्वविद्यालय प्रशस्ति अवस्था में है, अतः ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व अकादमिक सहयोग तथा आवान-प्रबान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने से विश्वविद्यालय प्रमति की ओर अप्रसर हो सकेगा। एम.ओ.यू. का प्रारूप अवलोकनार्थ संलग्न है। विद्या-परिषद कृपया कल्पोय विश्वविद्यालय, हैदराबाद से एम.ओ.यू. करने के लिए अनुमति प्रदान करे।

विद्या-परिषद ने सर्वसम्मति से इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अनुलापक : एम.आ.यू. (हैदराबाद विश्वविद्यालय) (पुष्ट 92 से 94)

कार्य-सूची की सर्व सं. १

विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन

आगे तक विश्वविद्यालय ने प्रथम अध्यादेश नहीं निकाला है। विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश का निम्नांका किया गया है। अकादमिक संबंधी अध्यादेश का प्रारूप विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमति दी रखता है।

विद्यापरिषद् ने अकादमिक संबंधी प्रत्युत अध्यादेश के प्रारूपों का अवलोकन कर इसे अपनी स्वीकृति दी रखा है।

अनुलालक अध्यादेश का प्रारूप (पृष्ठ १६ स. १६५)

विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में छमाही नवीकरण पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

फ्लूजीइ गुरुजी व अन्य संस्थानों से चर्चा के अनन्तर यह विचार किया गया कि विदेशी विद्यार्थियों को हिन्दी सिखाने के लिए अत्पकालीन नवीकरण पाठ्यक्रम की मांग है। इसके तहत पाठ्यक्रम फ्लूजीइ गुरुजी व संबद्ध अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से शुरू किए जाएँगे।

पाठ्यक्रम विवरण विद्या-परिषद द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति मिलने के पश्चात चर्चा कर रखा जाएगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम सबधी व्योग सलग्न है।

विद्या-परिषद कृपया विदेशी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे।

यह निर्णय हुआ कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाने के लिए भारत सरकार से आवश्यक आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की जाय।

अनुलालक : पाठ्यक्रम व्योग (पृष्ठा 107 सं 171)

दूर शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु गठित समिति की अनुशसारः :

विद्या-परिषद की दूसरी बैठक की मद सं. 6 में विश्वविद्यालय में वर्ष 2006 से दूर शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। इसके तारतम्य में कार्य-परिषद की पन्द्रहवीं बैठक में पूरी परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित की गई :

- 1) प्रो. एम. शमीम जयराजपुरी
- 2) प्रो. तारक नाथ बाली
- 3) प्रो. वी.आर. जयन्नाथन
- 4) प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
- 5) प्रो. संगीत रहमतल्ला
- 6) प्रो. एस. तकमणि अम्मा
- 7) प्रो. इन्द्रनाथ चोधुरी

उक्त समिति को दिनांक 19 मार्च, 2005 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशसारे अवलोकनार्थी व अनुमोदनार्थ सखरपा है।

विद्या-परिषद ने अनुशसारों का अवलोकन कर निम्न सुझावों के साथ इसे अनुमोदित किया:

- (क) दूर शिक्षा के उहत विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए. का पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए।
- (ख) कुलपति द्वारा बैठक को यह अवगत कराये जाने पर कि दूर शिक्षा परिषद के नियमानुसार दूर शिक्षा आरंभ करने के लिए क्रम-से-क्रम पाँच विषयों में पाठ्यक्रम अवश्य ढंग चाहिए, विद्या-परिषद का भत था कि इसके लिए आगे आवश्यक कारबाह की जानी चाहिए और दूर शिक्षा परिषद को अवगत कराया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भिक अवस्था में उपलब्ध अपने सीमित सामग्री के निर्णय लिया गया है तो इसके नाम उन्हें पर आगे अन्य पाठ्यक्रमों के संबंध में पूरी उपरक्त तरीके कर कारबाह के जारीगों।

अनुलेखन : दिनांक 19 मार्च 2005 की बैठक का कार्यवृत्त (पृष्ठ 173 सं. 175)

संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन :

प्रत्येक विषय पर समूह चर्चा/पत्र-प्रस्तुति के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान एवं जानकारियों को अद्यतन बनाने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम दो संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित करने की आवश्यकता है।

हिन्दी को देश के प्रत्येक भाग में समृद्ध करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी/कार्यशाला के विषय, विचार-बिन्दु व स्थान का चयन किया जाएगा।

विद्या-परिषद् कृपया अगले वित्त वर्ष में ऐसी दस संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को देश भर में आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने व स्थान चयन, विषय व प्रतिभागियों की संख्या निर्धारण के लिए कुलपति को अधिकृत करे। इन संगोष्ठियों व कार्यशालाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय राशि रु. 10,25,000/- की कृपया विद्या-परिषद् अनुमति प्रदान करें।

विद्या-परिषद् ने संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन तथा इसके लिए अनुमानित राशि रु.10,25,000/- के व्यय की अनुमति प्रदान की परन्तु यह भी सुझाव दिया गया कि इनका अवधारण एवं प्रकाशन होना याहिसु तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक न्यूज लेटर भी निकला जाना चाहिए। इसके साथ-साथ सर्वीत नाटक अकादमी, साहित्य कला परिषद् तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी संगोष्ठियों आयोजित की जायें।

अनुलग्नक : वित्तीय सत्र 2005 (प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यशालाएँ) (पुस्त्र 177)

बैठक की समाप्ति कुलपति को सदस्यों द्वारा धन्यवाद देने और कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने से हुई।

लीगल नं १२३५
(प्रो. जी. गोपीनाथन)
उच्चतम विद्या-परिषद् एवं कुलपति,
महाला यादी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्दा